आखर हिंदी पत्रिका; e-ISSN-2583-0597 खंड 1/अंक 2/दिसंबर 2021
Received : 30\11\2021; Accepted:08\12\2021; Published:24\12\2021

समकालीन हिंदी कविता में 'तृतीयलिंगी' विमर्श

हर्षिता द्विवेदी
शोधार्थी-हिंदी
भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान/
भारतीय भाषा केंद्र,
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110067.
Mail- harshi26_lle@jnu.ac.in
Contact- +91 9013583573

हर्षिता द्विवेदी ,**समकालीन हिंदी कविता में 'तृतीयलिंगी' विमर्श**,आखर हिंदी पत्रिका, खंड 1/अंक /2दिसंबर ,2021(121-129)

ऑब्सट्रैक्ट- हिंदी साहित्य के लिए 'थर्डजेंडर या तृतीयलिंगी विमर्श' या समुदाय को लेकर जो कुछ भी लिखा जा रहा है, वह बिल्कुल नया है| 2002 ई० में नीरजा माधव कृत 'यमदीप' उपन्यास से पहले तक हिंदी में 'तृतीयलिंगी' समुदाय को लेकर कुछ छिटपुट रचनाएँ ही मिलती हैं| अभी तक जो कुछ भी रचनाएँ मिलती हैं, उसमें उपन्यास और कहानियों की संख्या नाटक या कविताओं की तुलना में ज्यादा है| हिंदी में किन्नर समुदाय को लेकर अभी भी बहुत कम कविताओं की रचना हुई है| जो कविताएँ रची गई हैं, उनमें आपसी साम्यता या वैषम्यता किस तरह की है, उनकी काव्यगत विशेषता क्या है? जैसे प्रश्नों पर बात की जाएगी| भारतीय समाज में किन्नर या हिजड़ा समुदाय के लोगों को 'मिथकीय, अश्लील और हिक़ारत' की नज़र से देखा जाता है| मुख्यधारा के समाज में आज भी उन्हें घृणा की नज़र से देखा जाता है| हिंदी कविता में 'तृतीयलिंगी' समुदाय को किस तरह से अभिव्यक्त किया गया है, प्रस्तुत आलेख में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी|

की-वर्ड्स- तृतीयलिंगी समुदाय, हिजड़ा, किन्नर, थर्डजेंडर, विमर्शवादी साहित्य, भारतीय समाज, तृतीयलिंगी विमर्श, थर्डजेंडर विमर्श, हिंदी कविता इत्यादि|

आधुनिक दौर विमर्शों का दौर है, आज दुनिया का तमाम बैद्धिक वर्ग समाज में हाशिए पर धकेल दिए गए मनुष्यों के पक्ष में एक सांझा मंच तैयार करता दिख रहा है| 'थर्डजेंडर' समुदाय को लेकर एक जागरूक बहस का आरंभ वास्तव में अभी तक नहीं हो सका है, जिसका कारण यह है कि यह समुदाय अभी तक स्वयं के विषय में कुछ कहने के लिए उपयुक्त माहौल प्राप्त नहीं कर सका है| पैदा होने के साथ ही जिस समुदाय को समाज और परिवार के दायरे से बाहर कर दिया जाता हो, जीवन जीने के तमाम साधन-संसाधन छीन लिए जाते हों, उसके लिए अपने अधिकारों की बात कह

सकना आसान नहीं होता| भारतीय समाज में 'थर्ड जेंडर या हिजड़ा' समुदाय के जीवन को तीन बिन्दुओं से समझा जा सकता है| सर्वप्रथम तो यह कि भारत में इस्लाम और इस्लामिक शासन से पहले भी 'किन्नर' मौजूद थे| महाभारत में अरावन, बृहन्नला और शिखंडी का उदाहरण इस बात का द्योतक है कि उनके साथ समाज में सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार प्रचलित था| रामायण में भगवान श्रीराम द्वारा 'मंगलमुखी' समुदाय को 'कलियुग में शासन करने का आशीर्वाद' मिलना इस बाद की तरफ इशारा करता है कि उस दौर में मंगलमुखी समाज के साथ मनुष्यत्व का व्यवहार होता था| दूसरा प्रमुख बिंदु यह कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसका सेनापति मलिक काफ़ूर और कोषाध्यक्ष दोनों ही 'हिजड़ा समुदाय' से आते थे| दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासनकाल में 'हिजड़ा' व्यक्तियों को हरम की रखवाली करने, गुप्तचर के कार्य करने और सैनिक के रूप में भर्ती होने का अधिकार था| कहने का अर्थ यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप समेत पूरे एशिया में 'किन्नर, छक्का, पवैय्या, हिजड़ा, लौंडा, मौसी, खोजवा, थिरुनानगाई, कोथी, ख्वाज़ासरा या फिर आधुनिक काल में थर्डजेंडर' नामधारियों का अस्तित्व और सम्मान बराबर कायम था| मुख्यरूप से तीसरा बिंदु एक 'टर्निंग पॉइंट' की तरह दिखता है| ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय किन्नर समाज की अवनति होनी प्रारंभ हुई जो आज तक जारी है|

1860 ई० में औपनिवेशिक सरकार ने एक अधिनियम '377' पारित किया, जिसके तहत 'समलैंगिक समुदाय और हिजड़ा समुदाय' को सामान्य सामाजिक उपस्थिति से प्रतिबंधित कर दिया गया| उन्हें सामान्य रूप से जैविक रिश्तों और अन्य सामाजिक रिश्तों से प्रतिबंधित कर दिया गया जिससे वे धीरे-धीरे मुख्यधारा से कटते गये| 1871 ई० में 'क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट' पारित किया गया| इस अधिनियम के तहत लगभग साधे छः सौ जातियों-जनजातियों के साथ 'किन्नर समुदाय' को भी 'जरायमपेशा जनजातियों' में शामिल कर दिया गया| 'जरायमपेशा जनजातियों' के तहत शामिल लोगों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहती थी| इस तरह वे मुख्यधारा के समाज के साथ-साथ सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म, परम्परा, आर्थिक और अन्य अधिकारों से वंचित होते चले गये| कुछ तत्कालीन तथ्यात्मक रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन हिंदुस्तान में हिजड़ों की संख्या हजारों में मौजूद थी| कई बार उन्हें क्रांतिकारियों की मुखबिरी के संदेह में भी पकड़ा गया| आजादी के बाद सन 1952 में 1871 ई० का 'जरायमपेशा जनजातियाँ अधिनियम' तो समाप्त कर दिया गया, जिसमें किन्नर समुदाय को मुक्ति मिली लेकिन बहुत सी जनजातियों को तब भी प्रतिबंधित ही रखा गया| अधिनियम '377' को 2018 ई० में माननीय उच्चतम न्यायलय ने 'सभी मनुष्यों को बराबरी का नागरिक और संवैधानिक अधिकार' देते हुए इसे समाप्त घोषित किया| यह तो हुई सामान्य परिचयात्मक पृष्ठभूमि, जिसके बिना इस समुदाय पर बात करना या उनकी स्थिति समझना लगभग असम्भव होगा|

हिंदी साहित्य में 21वीं सदी के दो दशक हो चले हैं और लगभग इतना ही साल 'थर्डजेंडर विमर्श या बहस' की क़वायद को भी| पिछले कई हजार सालों के साहित्य, भाषा और संस्कृति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई रचना 'किन्नर समुदाय' को केंद्र बनाकर रची गई हो| हम जिन मिथकीय पत्रों, चरित्रों या महान व्यक्तियों की बात करते हैं, वे सब कहीं न कहीं सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव और घृणा का शिकार रहे हैं| दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं भी किन्नर समुदाय की बस्ती या खंडहर न प्राप्त होना उनकी सामाजिक दुर्दशा का परिचायक है| हिन्दुस्तान में आज भी किन्नर समुदाय के लोग अपने मुर्दे चोरी से दफ़नाते या जलाते हैं क्योंकि उनके लिए कोई

कब्रिस्तान या श्मशान नहीं बनाया गया है| हिंदी साहित्य में भी किन्नर समुदाय को हमेशा से ही 'हाशिए से भी ज्यादा हाशिए' पर रहने को मजबूर किया गया, उनको केन्द्रित कोई रचना नहीं की गई| आज भी किन्नर समुदाय को लेकर समाज में बहुत ही खराब स्थिति है, सामान्य सार्वजनिक स्थलों पर अभी भी उन्हें हिक़ारत और घृणा की नज़र से देखा जाता है|

कविता की भाषा अन्य गद्य विधाओं से अलग होती है| 'हिजड़ा या किन्नर समुदाय' को लेकर वर्तमान में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, वह ज्यादातर प्रतिरोध के रूप में लिखा जा रहा है| सदियों से एक मुकम्मल समुदाय हाशिए पर क्यों रहने को मजबूर किया गया, यह एक जायज सवाल है जिसे वर्तमान कवि और लेखक लगातार उठा रहे हैं| सामान्यतः उनका मानना है कि जिस तरह शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवार और समाज के मन में सांत्वना और संवेदना का भाव होता है, उसी प्रकार लैंगिक रूप से विकलांग 'लैंगिक अल्पसंख्यकों' के प्रति क्यों नहीं होता| कवयित्री सपना मांगलिक इस क्रम से लिखती हैं-

"कहते विकलांग उसे, जिनका अंग भंग हो जाता
मिलता यह दर्जा मुझको तो, क्यों मैं स्वांग रचाता|
झूठा वेश खोखली ताली, दो कोठी बस खाली
जीता आया नितदिन जो मैं, जीवन है वो गाली|
घिन करता इस तन से हरपल, मन से भी लड़ता हूँ
कोई नहीं जो कहे तेरा, मैं दर्द समझता हूँ|
तन-मन और सम्मान रौंदे, दुनिया बड़ा सताए
होता मेरे साथ भला क्यों, कोई ज़रा बताए|"[1]

हमारे समाज में हर 'लैंगिक-अलैंगिक' पहचान वाले व्यक्ति को अश्लीलता के चश्मे से देखने की आदत है| वास्तविकता यह है कि देह व्यापार हो, सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगना हो या फिर नेग वसूलने की आड़ में उन पर लगा अश्लीलता का आरोप हो, उन सब के लिए कहीं न कहीं हमारा समाज ही जिम्मेदार है| जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किन्नरों की संख्या 5.4 लाख है, वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है और आँकड़े बिल्कुल विपरीत| अभी भी किन्नर बच्चा पैदा होना कोई 'चिकित्सीय कमी' नहीं बल्कि माँ-बाप की गलती या उस शिशु की गलती माना जाता है जो 'लैंगिक रूप से विकलांग' पैदा हुआ है| समाज में किन्नरों को कई अपमानित नामों से पुकारा जाता है, यथा- 'हिजड़ा, किन्नर, छक्का, मौसी, मामू इत्यादि| कई बार किसी 'मर्द' को अपमानित करना हो तो उसे लोग 'छक्का या हिजड़ा' कह देते हैं| 'हिजड़ा' शब्द ही अपने आप में अपमान का द्योतक है|

"हिजड़ा कहते ही दुनिया की सारी गालियाँ
नग्न हो करने लगतीं हवा में नृत्य जिसमें नहीं होते
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के छटांक भर
बस होता है चीत्कार, हाहाकार
रूदन कि जैसे फट पड़ा हो धरती का कलेजा
हिजड़ा कहते ही मनुष्य की आदिम बर्बरता
अपनी पूरी ताकत के साथ रखती धरती पर पैर
और धरती की आँखों से ढुलक पड़ते अश्रुजल

हिजड़ा कहते ही भेंट पांडुओं को पुरुषत्व के शस्त्र"[2]

आज पूरी दुनिया में 'थर्डजेंडर/ट्रांसजेंडर' विमर्शवादी साहित्य के संदर्भ में बेहद संवेदनशील विषय के रूप में उभरता दिख रहा है| पाश्चात्य देशों में बहुत से समाजों में 'किन्नर समुदाय' को सामान्य नागरिक के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में अभी यह अपने आरम्भ की अवस्था में ही है| हमारा समाज एक 'लिंगपूजक' समाज के तौर पर जाना जाता है| हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और मध्यकाल से लेकर आज तक के तमाम तमाम साहित्य, कला और संस्कृति में उदाहरण के तौर पर केवल दो 'लिंग- स्त्री और पुरुष' को ही मान्यता मिली हुई है| स्त्री और पुरुष के मध्य पहचान को लेकर झूलती धुंधली सी लकीर 'तृतीयलिंगी समुदाय' समाज में सम्मान और मर्यादा के साथ स्वीकार्य नहीं हैं| स्त्री या दलित विमर्श के इतर 'थर्डजेंडर' समुदाय के लाखों लोगों की पहचान की लड़ाई है तृतीयलिंगी विमर्श| शुभ अवसरों पर अक्सर हमारे घरों में दिखाई देने वाले 'किन्नर' कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता होता| बचपन से ही उनके प्रति हमारे मन में एक अजीब तरह का भ्रम पोषित किया जाता है, आगे चलकर जब सार्वजानिक स्थलों पर उनसे हमारा आमना-सामना होता है तो हम अपने पूर्वाग्रहों को विस्मृत नहीं कर पाते| सामान्य मनुष्य और किन्नर में केवल 'लैंगिक पहचान' के पूरे या अधूरेपन का अंतर है|

"न इधर के रहे न उधर के रहे
ऐ विधाता बता दे कहाँ जाएँ हम
हम भी ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा तो हैं,
हैं नपुंसक पर वंचित क्यों कहलावें हम||
सबके मंगल का गुणगान करते रहे,
आपके ही लिए हम सँवरते रहे|
हमको लोगों से मिलती रहीं गालियाँ,
बजाते रहे फिर भी हम तालियाँ||"[3]

आज जब दुनियाभर का बौद्धिक वर्ग 'हाशिए के समाज के अधिकारों के प्रति' लगातार चिंतित है, ऐसे में हिंदी साहित्य में 'थर्ड जेंडर' विमर्श का बहुत तेजी से उठना स्वाभाविक है| उदाहरण के तौर पर 'किन्नर' हर युग और समाज में मौजूद रहे हैं, परन्तु 'मनुष्य' के रूप में उन्हें स्वीकार किए जाने की क़वायद 60-70 के दशक से प्रारंभ हुई| अमेरिका और यूरोपीय देशों में जब स्त्रीवादी आन्दोलन अपने चरम पर था तभी अन्य 'लैंगिक अल्पसंख्यकों' ने अपने हिस्से के अधिकार माँगने का संघर्ष प्रारंभ किया| दुनिया के तमाम देशों में आज 'हिजड़ा, लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, जेंडर क्वीयर्स, ट्रांसजेंडर' सबको सामान्य नागरिक के तौर पर स्वीकार किया जाने लगा है| ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर सबसे उदारवादी देश आइसलैंड माना जा सकता है, जहाँ स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर/ ट्रांसजेंडर या LGBTQ समुदायों को समान नागरिक अधिकार मिले हुए हैं| अमेरिकी देशों और कनाडा जैसे राष्ट्रों ने भी अपने सदस्यों को पूर्ण नागरिक अधिकार दिए हुए हैं| डेनमार्क में थर्डजेंडर (हिजड़ा) और LGBTQ समुदाय के लिए सरकार से अलग सोसाइटी बनाई हुई है, जहाँ उन्हें हर तरीके से सुरक्षित महसूस करने लायक माहौल मिला हुआ है| मैक्सिको में 'हिजड़ा समाज' (मैक्सिको में हिजड़ा समुदाय को MUXE या मुसे कहा जाता है) एक लम्बी लड़ाई के बाद सामान्य नागरिक का दर्जा प्राप्त करने में सफल रहा है| पाकिस्तान में 'प्रोजेक्ट हिजड़ा' के

तहत 'हिजड़ा' समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करने और उनके सामान्य नागरिक अधिकार दिलाने का आन्दोलन अभी भी जारी है| बांग्लादेश में शिक्षा के क्षेत्र में 'हिजड़ा समुदाय' बाकी सभी एशियाई देशों में सबसे आगे है| भारत में अभी भी उन्हें मनोरंजन का साधन समझा जाता है, ताली पीटने और सार्वजनिक स्थलों पर भीख माँगने तक ही उनकी भूमिका को सीमित किए जाने का षड्यंत्र आज भी जारी है| किन्नर समुदाय को केन्द्रित कवितायें लगातार ऐसे षड्यंत्रों पर कुठाराघात करते हुए सवाल उठती हैं-

"मनुष्य के रूप में
आधे-अधूरे जीवन
और व्यक्तित्व हैं हम
समाज के तिरस्कार और
घृणा के छाँव तले
बसर करते जीवन
क्यूँकि किन्नर हैं हम|
न देश न समाज को फ़िक्र
फिर भी सबकी खुशियों में
चार चाँद लगाते हैं हम
बनकर सबकी हँसी के पात्र
क्यूँकि किन्नर हैं हम|
समाज के ठेकेदार हैं मौन
सरकार आँखें मूँदे हमारी परिस्थितियों से अनजान
भीख माँगकर बसर करते हैं जीवन
अपंग, लाचार और बेबस हैं हम
मैं भी जन्मा था आलीशान भवन में
फिर भी भटक रहे इधर-उधर
क्यूँकि किन्नर हैं हम|"[4]

यूँ तो कुछ एक उदाहरण छोड़ दिए जाएँ तो पूरी दुनिया का समाज 'पितृसत्तात्मक' समाज व्यवस्था का उदाहरण है| सत्ता हमेशा पिता से पुत्र को प्राप्त होती है, पुत्र ही पिता के सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का उत्तराधिकारी बनता है| पुत्रियाँ हमेशा से भारतीय अभिभावकों और समाज के लिए पराया धन और बोझ रही हैं| तमाम तीज-त्यौहार, व्रत-उपवास, पूजा-पाठ, धर्म-कर्म को 'पुरुष केन्द्रित' गढ़ा गया, स्त्री को उसे निभाने और उसके आगे सिर झुकाने का पात्र समझा जाता रहा| समाजीकरण की जटिलतम और भेदभावपूर्ण प्रक्रिया में 'स्त्री को स्त्री होना और पुरुष को पुरुष होना' सिखाया जाता रहा है| इन सबके बीच 'तृतीयलिंगी' समुदाय को 'सृष्टि उत्पादन की प्रक्रिया'में शून्य पाया गया और उन्हें समाज के तमाम अधिकारों से पैदा होने के साथ ही वंचित किया जाने लगा| अपने प्रति होने वाले तमाम भेदभावों को बेहद तल्ख़ रूप में एक कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है-

"क्या फर्क है उनमें और हम में?
मात्र शरीर की बनावट का

क्या उन्हें हँसने-रोने का हक़ नहीं है?
क्या वे हमारे साथ उठ-बैठ नहीं सकते?
ये सवाल कभी पूछने चाहिए हमें खुद से!
इन सवालों के जवाब अगर 'ना' हों,
तो इसमें गलती हमारी है
इससे पता चलेगा हमें, कि
'हिजड़े' वो हैं, या हमारी 'सोच'!
क्या 'हिजड़ा' या 'सामान्य' कहलाने को
बस शरीर की बनावट ही एक पैमाना है?
क्या वे किसी अलग तरीके के जन्मे हैं?
क्या वे किसी अलग तरीकों से जीते-मरते हैं?[5]

1860 ई० के बाद भारतीय और एशियाई किन्नरों की स्थिति में निरंतर पतन होता गया, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनकी स्थिति लगातार खराब होती गई है| आज हम उनके विषय में तमाम तरह के भ्रम और तथ्यहीन बातों में उलझा दिए गए हैं| मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ट्रांसजेंडर/थर्ड जेंडर समुदाय को लेकर स्थिति बाकी राज्यों से भिन्न है| तमिलनाडु, बंगाल और केरल के किन्नरों की स्थिति शिक्षा और रोजगार के मामलों में दूसरे राज्यों से भिन्न है| 2017 ई० में केरल सरकार ने एकसाथ 23 किन्नरों को 'कोच्चि मेट्रो' में नौकरी का अवसर दिया| महाराष्ट्र की गौरी सावंत देश की पहली 'किन्नर' पुलिस के रूप में नौकरी पाने में सफल रहीं| बंगाल की मानोबी बंदोपाध्याय देश की पहली 'किन्नर प्रिंसिपल'बनने का गौरव प्राप्त कीं| मध्यप्रदेश की शबनम मौसी को देश की पहली 'किन्नर विधायक' के रूप में 1998 से ही जाना जाता है| लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े का पहला महामंडलेश्वर बनने का गौरव प्राप्त है| हाल ही में कर्नाटक 'ट्रांसजेंडर' समुदाय को 'एक प्रतिशत' आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना| ऐसे कुछ गिनती के उदाहरण हैं जो बदलाव की ओर दस्तक देते हैं| लेकिन ये चंद उदाहरण हैं महज, पूरी तस्वीर का रुख कोई और ही कहानी कहता है|

लगभग पाँच लाख की संख्या वाला किन्नर समुदाय आज भी सड़कों पर भीख माँगने और आर्थिक मजबूरियों के चलते देहव्यापार के लिए अभिशप्त है| 1994 ई० में तत्कालीन चुनाव आयुक्त टी.एन.शेषन ने किन्नरों को स्त्री या पुरुष के रूप में मतदान का अधिकार दिलाने में सहयोग किया| 2009 ई० में किन्नरों को 'अन्य' के रूप में स्वतंत्र रूप में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ| शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ-साथ आज भी दैनिक जीवन की तमाम आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए आज भी ये लोग संघर्षरत हैं| लैंगिक रूप से विकलांग होना भले ही किन्नर समुदाय की गलती नहीं है, लेकिन समुदाय स्वयं ही इस बात के लिए जिम्मेदार समझा जाता रहा है|

"हम भी शतप्रतिशत इंसान हम भी शतप्रतिशत इंसान
व्यर्थ सभी किन्नर-किन्नर कहकर करते अपमान|
हम भी शतप्रतिशत इंसान--
ईश्वर हमसे रूठ गया था, स्याह मुकद्दर फूट गया था|
किस्मत में पड़ गये फफोले, जग अश्लीली भाषा बोले
कदम कदम पर ठोकर खाते, जीवन नर्क समान बिताते

हाथों की रेखाओं का भी भटक गया ईमान--|"[6]

किसी घर में किन्नर बच्चा पैदा होना न केवल माँ-बाप के लिए सामाजिक रूप से निंदनीय माना जाता रहा है बल्कि 'पुरुष' के रूप में पिता की 'मर्दानगी'को भी ललकारने जैसा है| यही कारण है कि 'हिजड़ा' बच्चा पैदा होते ही उसे मार दिया जाना, जिन्दा गाड़ दिया जाना, झाड़ियों या नदियों में फेंक दिया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं| किन्नर समुदाय की स्वाभाविक यौनिकता को अपराध के रूप में देखा जाता है| स्वयं उसके रिश्तेदार, सगे भाई-बहन और रिश्तेदार उससे नफरत करते हैं और बात-बात पर उसे अपमानित करते रहते हैं|

"अपनों ने ही त्याग दिया जब, मान ग़ैर क्यों देते
जैसे भी है अपना है तू, गले लगाकर कहते
लिंग त्रुटि क्या दोष माँ मेरा, काहे फिर तू रूठी
फैंक दिया दलदल में लाकर, ममता तेरी झूठी|
मेरे हक़, खुशियाँ सब सपने, माँग रहा हूँ कबसे
छीन लिया इंसा का दर्जा, दुआ माँगते मुझसे
सब किस्मत का लेखा जोखा, कर्म प्रभाव तभी तो
मैं अपने दुःख पर लेकिन तुम, मुझ पर ताली पीटो|
मित्र, बच्चे, घरबार न मेरा, कोई जीवनसाथी
बस्ता, कॉपी न नौकरी बस, ताली साथ निभाती
बचकर निकलो इधर न गुजरो, वो जा रहा हिजड़ा
केश घसीट पुलिस ले जाती, जैसे स्वान पिंजरा|"[7]

'हिजड़ा' समाज के साथ पुलिस, प्रशासन और कानून का रवैया मनुष्यत्व जैसा कभी नहीं रहा है| नीरजा माधव कृत उपन्यास 'यमदीप' और प्रदीप सौरभ कृत 'तीसरी ताली' में किन्नर समुदाय के प्रति पुलिस के बर्बर रवैये को बहुत ही सूक्ष्मता से व्यक्त किया गया है| महेंद्र भीष्म कृत 'मैं पायल' में पुलिस द्वारा एक हिजड़े के बलात्कार की बात कही गई है| 'यमदीप' में मीडिया के लोग 'हिजड़ा' समाज के बारे में क्या सोचते हैं, इस विषय पर भी बात की गई है| 'हिजड़ा गद्दियों' का उसूल है कि जहाँ भी वे 'हिजड़ा शिशु' के पैदा होने की ख़बर सुनते हैं, उन्हें अपने डेरे में शामिल कर लेना चाहते हैं| इसका कारण यह है कि उन्हें पता है कि किन्नर समुदाय के लोगों के साथ समाज कभी भी सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार नहीं करेगा, कभी भी उसे वह इज्जत नहीं मिल सकती जो उन्हें मिलनी चाहिए| ऐसी बात नहीं है कि 'थर्डजेंडर' बच्चों में प्रतिभा या कुशलता का अभाव होता है, लेकिन हम उनकी शारीरिक कमी से इतर किसी सम्मानजनक कार्य में देखना ही नहीं चाहते बल्कि उनमें अश्लीलता खोजकर उनका अपमान ही करते हैं|

"यहाँ घोषणापत्रों में लुभावने वादे हैं
विकास की परिभाषाओं में
प्रदान की जा रही सुविधाएँ और आरक्षण
किसी भी शारीरिक कमी से पीड़ित लोगों को
कहीं इस अवयव विशेष के अविकास के लिए
सहानुभूति भी नहीं है किसी के पास
कोई दंड तय नहीं

उनके लिए जो दुत्कारते हैं इन्हें
बरसाते हैं बहिष्कार के चाबुक
कोई दरवाजा नहीं खुलता इन पर
न मानव का, न मानवाधिकार का
यौनिक पहचान की बंद भूल-भुलैया में
स्वाहा हो जाने के लिए शापित है
इनका प्रच्छन्न समाजिक जीवन|"[8]

ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों में बदलाव नहीं आ रहा है, जो भी बदलाव हो रहे हैं वे बड़ी सुस्त गति से हो रहे हैं| एक 'हिजड़ा' व्यक्ति जीवन भर अपमान सुनने के लिए अभिशप्त होता है, उसे जीवन भर की कमाई के रूप में अपमान, तिरस्कार, घृणा, नफरत, फूहड़ शब्द, गाली तिरस्कार, मजाक और अश्लीलता का दंश मिलता है| हिंदी साहित्य में जो कुछ भी आज लिखा जा रहा है, वह पर्याप्त नहीं है| विमर्शवादी साहित्य पर जो सबसे पहला प्रश्न उठता है वह है 'सहानुभूति या स्वानुभूति का सवाल'| अभी तक जो कुछ भी लिखा जा चूका है, उसके पीछे सहानुभूति की प्रेरणा कार्य करती आई है| अभी तक वंचित समुदाय से निकलकर अपने और अपने समाज के विषय में लिखने वालों की संख्या बहुत कम रही है| जिन्होंने लिखा भी है वह अंग्रेजी या तमिल में लिखा गया है| खुशवंत सिंह ने 'भागमती' हिजड़े के माध्यम से 'दिल्ली' उपन्यास में उनकी जिन्दगी की परतों को खोलने का प्रयास जरूर किया था| दक्षिण भारत में उनकी शिक्षा को लेकर काफी प्रयास किया गया है, उत्तर भारत में अभी इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है| प्रसिद्ध अफ़्रीकी साहित्यकार चिनुआ अचेबे कहते हैं 'शेर जब तक अपना इतिहास स्वयं नहीं लिखेंगे, तब तक इतिहास में शिकारियों का ही महिमामंडन किया जाता रहेगा'| 'हिजड़ा' समाज के जीवन में बदलाव और उनके विषय में तमाम अधिकारों के प्रति जागरूक कराने की पहली कड़ी है- शिक्षा| शिक्षा के द्वारा ही उनके जीवन के तमाम द्वार रौशन हो सकते हैं, तमाम समस्याओं का अंत किया जा सकता है| अभी तक जो कुछ भी लिखा जाता रहा है, वह थोड़ा-बहुत तथ्य, सत्य और काफी हद तक भ्रम पर ही आधारित है| सिनेमाई जगत में भी उन्हें हास्य और मनोरंजन की 'वस्तु' के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता रहा है| 2019 ई० में माननीय उच्चतम न्यायलय ने 'हिजड़ा समाज' को 'ट्रांसजेंडर' के रूप में मान्यता दे दी| 'ट्रांसजेंडर' में 'हिजड़ा समुदाय' के अलावा 'LGBTQ' को शामिल करते हुए उन्हें 'लैंगिक अल्पसंख्यक' के रूप में एक मंच पर ला खड़ा किया है| 'प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स बिल 2019' में बहुत सी खामियाँ हैं, जिनके विरोध में वंचित समुदाय ने लगातार प्रदर्शन किया है| हिंदी साहित्य में किन्नर समुदाय को लेकर लगातार लेखन जारी है| उनके संबंध में अभी भी बहुत कुछ जानना और समझना बाकी है| समाज की मुख्यधारा में शामिल किए जाने के लिए अभी बहुत सी समस्याओं और सहयोग की आवश्यकता है| कानूनी और संवैधानिक रूप से समुदाय में जागरूकता और उनके सार्वजनिक जीवन को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है|

संदर्भ सूची-

1. मांगलिक, सपना - hindi.webdunia.com/hindi-poems/poem-on-kinner-116092200072_1.html

2. राजन, रामकिशोर, हिजड़ा कहते ही, पुस्तक- सिंह, विजेंद्रप्रताप, 2019, अस्तित्व और पहचान (सम्पादित), अमन प्रकाशन, कानपुर, पृष्ठ-13
3. धाकरे, नंदलाल, अंतस का उद्गार, पुस्तक- वही, पृष्ठ-40
4. मिश्रा, सुधा, आधे-अधूरे, पुस्तक- वही, पृष्ठ-73
5. बावने, क्षितिन्द्र राजेन्द्र, 'हिजड़ा' कौन?, पुस्तक- वही, पृष्ठ-91
6. पाण्डेय, गिरीश, 'शतप्रतिशत इंसान', पुस्तक- वही, पृष्ठ-70
7. मांगलिक, सपना, हिजड़े की व्यथा, पुस्तक- वही, पृष्ठ-88
8. कुशवाह, दीप्ति, निर्वीर्य दुनिया के बाशिंदे, पुस्तक- वही, पृष्ठ-81

अन्य सहायक ग्रन्थ-

डॉ० मेहरा, दिलीप, 2019, हिंदी साहित्य में किन्नर जीवन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
डॉ० एस. टी., जयश्री, 2021, तीसरी दुनिया का यथार्थ: एक मूल्यांकन, विकास प्रकाशन, कानपुर
डॉ० होनगेकर. एस. वाय., डॉ० महात, आरिफ़, 2018, 21वीं सदी का हिंदी साहित्य: नव विमर्श, ए.बी.एस. पब्लिकेशन, वाराणसी

****